

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1053/2014/हनुमानगढ़.

मैसर्स हिसारिया सेल्स एजेंसीज, सांगरिया, हनुमानगढ़.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-द्वितीय, वृत्त-बी, हनुमानगढ़.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सुरेश ओझा, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 01/08/2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 337/आरवैट/हनुमानगढ़/2013-14 में पारित किये गये आदेश दिनांक 05.03.2014 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत्त-बी, हनुमानगढ़ (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 के लिये वैट अधिनियम की धारा 24 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.01.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2010-11 के लिये वैट अधिनियम की धारा 24 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.01.2013 को पारित करते हुए व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 का बिक्री विवरण प्रपत्र वेट-10ए एवं वेट-10 चतुर्थ तिमाही के विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर वैट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति रुपये 10,000/- का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.03.2014 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।




लगातार.....2

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को शास्ति आरोपण बाबत विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किये जाने के कारण शास्ति का आरोपण प्रथम दृष्टया विधिविरुद्ध किया गया था। अग्रिम कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 58 का विलोपन राजस्थान वित्त विधेयक, 2011 दिनांक 9.3.2011 से कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण ही विधिविरुद्ध है। अपीलीय अधिकारी ने भी उक्त विधिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने में त्रुटि की है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था, जिसकी पुष्टि किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2010-11 के लिये कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने हेतु आलौच्य अवधि के बहियात व बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस दिनांक 19.11.2012 सुनवाई दिनांक 05.12.2012 एवं नोटिस दिनांक 05.12.2012 सुनवाई दिनांक 26.12.2012 के लिये जारी किये गये हैं। उक्त नोटिसों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि इसमें प्राप्त करने वाले के रूप में "त्रिलोक" (हस्ताक्षर) लिखा हुआ है। प्राप्त करने वाला कौन व्यक्ति है तथा इसका अपीलार्थी फर्म से क्या सम्बन्ध है, स्पष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया यही माना जा सकता है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण भी न्यायोचित नहीं है।



लगातार.....3


7. बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम करना एक चालू रहने वाला व्यतिक्रम है। यह व्यतिक्रम विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की विहित अंतिम तिथि से प्रारम्भ होता है तथा जिस तिथि को विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता है, उस तिथि को व्यतिक्रम समाप्त होता है। जिस तिथि को निरन्तर रहने वाला व्यतिक्रम समाप्त होता है, उस दिन विलम्ब हेतु शास्ति आरोपण के जो प्रावधान प्रभावी हैं, उस प्रावधान के अनुसार शास्ति आरोपित की जा सकती है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1986) 157 आई.टी. आर. 330 मायारानी पुंज में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब के बिन्दु पर शास्ति आरोपण के विषय में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में चालू रहने वाला व्यतिक्रम उस दिन समाप्त होता है, जिस दिन विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता है। विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब हेतु शास्ति के प्रावधान व्यतिक्रम समाप्त होने वाले दिन जो प्रभावशील है, वे लागू होंगे।

8. यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2011 के द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 को दिनांक 15.04.2011 से विलोपित कर दिया गया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि के कर निर्धारण हेतु एकमात्र नोटिस दिनांक 19.11.2012 को जारी किया गया है एवं धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण आदेश दिनांक 01.01.2013 से किया गया है। अतः दिनांक 01.01.2013 को वेट अधिनियम की धारा 58 अस्तित्व में नहीं होने के कारण, धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना प्रथम दृष्टया ही विधिविरुद्ध हो जाता है।

9. उक्त विवेचन के मद्देनजर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कर निर्धारण आदेश की पुष्टि किये जाने में त्रुटि की गयी है।

10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर, कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.01.2013 से वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति अपास्त की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।


01/08/2016
(मनोहर पुरी)
सदस्य